BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 724 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Bittu …Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. …Respondents

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 9.4.2026

INDEX **NDOH:** 30.4.2026

Sr. No.	Particulars	Page Nos.
1	Affidavit in Compliance of Order dated 9.4.2026	**1-6**
2	**ANNEXURE A-1** True copy of affidavit of Mosin dated 27.4.2026	**7-8**
3	**ANNEXURE A-2** True copy of FIR No. 488 of 2025	**9-14**
4	**ANNEXURE: A-3** True copy of FIR No. 7 of 2026	**15-20**
5.	**ANNEXURE: A-4** True copy of Order dated 16.1.2026 passed by Court of Additional Commissioner, Commissionerate Ghaziabad	**21-23**
6.	**ANNEXURE: A-5** True copy of show cause Notice dated 25.2.2026 issued to Applicant's brother Tittu	**24**
7.	**ANNEXURE: A-6** True copy of order dated 28.3.2026 passed by High Court in Criminal Misc. Writ Petition No. 3392 of 2026	**25-26**
8.	PROOF OF SERVICE	**27**

Place : New Delhi
Date : 27.4.2026

Filed by:-

VISHAL SINGH,
Advocate for the Applicant
Chamber No. 124, Ist Floor, D Block,
Supreme Court Additional Building, New Delhi- 110001
Mob: +91-9990774369 | *Email: advvishalsingh98@gmail.com*

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 724 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Bittu ...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 9.4.2026

I Bittu S/o Shri Leelu R/o House No. 151, Panchayara, Ghaziabad (U.P.) the above named Applicant, presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. I am the Applicant in the above captioned O.A. and as such well conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear this affidavit.

2. I say that this Hon'ble Tribunal has passed the order dated 9.4.2026 in present matter which is as follows:-

> *"7. Affidavits may be filed by the applicant and Mr. Mosin within two weeks."*

3. I say that in compliance of order dated 9.4.2026 passed in O.A. No. 724 of 2023 (P.B.) present affidavit is filed.

4. I say that the video clips recorded on 02.01.2026 at10:09 p.m. was recorded by Mosin where in illegal mining is recorded which is being carried out by the Respondent No. 8 with Proclain machine at the river bed of Yamuna. The mining activity was carried out adjacent to river steam by creating a pit by the Respondent No. 8 which was filled with water which Proclain machine was digging/ extracting the river sand from the water and river sand was loaded in the Dumpers during night and illegal transportation was going on.

5. I say that in this regard Mosin has also stated on his affidavit that the video clips recorded on 02.01.2026 at10:09 p.m. was recorded by Mosin where in illegal mining is recorded which is being carried out by the Respondent No. 8

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

Bittu

with Proclain machine at the river bed of Yamuna. The mining activity was carried out adjacent to river steam by creating a pit by the Respondent No. 8 which was filled with water which Proclain machine was digging/ extracting the river sand from the water and river sand was loaded in the Dumpers during night and illegal transportation was going on. True copy of affidavit of Mosin dated 27.4.2026 is marked and annexed **ANNEXURE: A-1 (Pg.7 to 8).**

6. That in compliance of order dated 16.12.2025 Applicant and other villagers informed Respondent Authorities and Police at 112 but no action was taken by the Authorities.

7. That Applicant called at 9:31 p.m. on 2.1.2026 called in the office of District Magistrate Ghaziabad at mob. No. 9454417565 informing about the illegal mining at night time away from the workable area but no response was received from your office till date. Copy of screen shot of phone call made at 9:31 pm in the office of District Magistrate Ghaziabad at mob. No. 9454417565 is already annexed ANNEXURE: A-4 **(Pg.49).(Rejoinder in I.A. No. 744 of 2026)**

8. That Villagers Aakash called at 112 as per the direction of Hon'ble NGT at about 9:57 p.m. from his mob. No. 8595820356 informing the police that illegal mining is going on at Village Panchayara but no action was taken by police. Copy of screenshot of phone call at 112 is already annexed ANNEXURE: A-5 **(Pg.50) (Rejoinder in I.A. No. 744 of 2026)**

9. That when no response came from the Police, again villager Sonu called at 112 as per the direction of Hon'ble NGT at about 10:58 p.m. from his Mob. No. 8595080875 informing the police that illegal mining is going on at village Panchayara.

10. That at around after 1 hour Choki Incharge of Village Panchayara Mr. Pradeep Singh came at the site and informed that he has cannot take any action in the matter, this matter is to be dealt by District mining officer only he is can act or stop the illegal mining when he was shown the copy of order dated 16.12.2025 passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 724 of 2023 that he is bound

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

Bittu

to take appropriate action on complaint and to document the action so taken in writing and also by way of audio/video means but denied and left the site.

11. I say that pre-mediated, motivated and calculated manner by the officials of the Police by misusing the **MIGHT OF THE STATE** acted malafidely to somehow pressurise the Applicant to withdraw the present O.A. by registering false and frivolous FIR and passing externment orders against Applicant and his family members which is tabulated below in form of List of Dates:-

Sr. No.	Date	EVENT
1	10.10.2025	Applicant showed illegal mining by machines on Video call to Hon'ble Justice Arun Kumar Tyagi and Dr. Afroz Ahmad Judicial Member during the course of hearing on 10.10.2025
2	11.10.2025	Lekhpal alleged that at the time of inspection with police saw that illegal sand mining was going on the land of Applicant. Hence FIR is to registered on Applicant and other family members.
3	**24.10.2025**	FIR No. 488 of 2025 was registered against Applicant and family member alleging that on the land of Applicant illegal mining was carried out. ***Note:- No mention of machines/ vehicles or persons engaged in illegal mining.*** True copy of FIR No. 488 of 2025 is marked and annexed **ANNEXURE: A-2 (Pg.9 to 14).**
4	19.11.2025	Applicant filed I.A. No. 744 of 2025 to stop illegal mining.
5	16.12.2025	This Hon'ble tribunal passed order to take action (video / photo to be captured by Police) if any complaint is lodged on 112 about illegal mining ***Ref-para 9 of order dated 16.12.2025.**

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★ RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025

Bittu

		"9. In the eventuality of the illegal mining, the applicant may make complaint to the Police at No. 112 and to the District Magistrate and Commissioner of Police, Ghaziabad by appropriate means who shall be bound to take appropriate action on any such complaint and to document the action so taken in writing and also by way of audio/video means." True copy of order dated 16.12.2025 passed in O.A. No. 724 of 2023 is marked and annexed ANNEXURE: A-3 **(Pg.45 to 48) (Rejoinder in I.A. No. 744 of 2026)**
6	**30.12.2025**	Show Cause Notice issued by Commissioner of Police under Section 3(1) of the U.P. Control of Goondas Act, 1970 against Applicant which was delivered on 6.1.2026. True copy of show cause Notice dated 30.12.2025 issued to Applicant is already annexed ANNEXURE: A-9 **(Pg. 69)**
7	2.1.2026	Applicant and other villager lodged complaint on 112 about illegal mining but no action was taken and **order dated 16.12.2025 passed by NGT in present O.A. was not complied as no video/ photo was captured and no action was documented by Police.**
8	**4.1.2026**	FIR No. 7 of 2026 was registered on the information received from Lekhpal (Vipin Tomer) that on 2.1.2026 at 6:30 am at Lat 28.80718, Long-77.221856 a heap of sand, tractor trolly and dumper was seen and after investigation it was found that illegal and sand mining is being done by tractor, trolly and dumper at river Yamuna and the sand is being unloaded at above location and from there sand is being transported and the trolly is being seized by Police. Moreover Dumper No. UP14MT4722 (owner Applicant/ Bittu) which was parked at loading site which was stopped by Police but the Applicant ran away with his truck along with 3-4 persons. ***<u>Note:- Police was in so hurry they lodged FIR in wrong name as Siddhu instead of Bittu.</u>***

NOTARY PUBLIC ★ RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 ★ GOVT. OF INDIA

Bittu

		True copy of FIR No. 7 of 2026 is marked and annexed **ANNEXURE: A-3 (Pg.15 to 20).**
9	**5.1.2026**	Applicant sent the complaints to District Magistrate, Prime Minister, Chief Secretary and other authorities complaining about illegal mining being carried out by Respondent No. 8 during night at 9:30 p.m. on 2.1.2026 at Village Panchayara. True copy of Complaint to District Magistrate is already annexed ANNEXURE: A-8 **(Pg.58 to 68). (Rejoinder in I.A. No. 744 of 2026)**
10	**6.1.2026**	Show Cause Notice dated 30.1.2026 was delivered at the residence of Applicant on 6.1.2026 immediately after filing complaint dated 5.1.2026 to DM, PM and other authorities about illegal mining by Respondent No.8
11	**16.1.2026**	Show Cause Notice dated 30.1.2026 was confirmed and Applicant was ordered to Leave District Ghaziabad for 6 months vide order dated 16.1.2026 True copy of Order dated 16.1.2026 passed by Court of Additional Commissioner, Commissionerate Ghaziabad is marked and annexed **ANNEXURE: A-4 (Pg.21 to 23)**
12	29.1.2026	Stay order was passed to stop illegal Mining by this Hon'ble Tribunal.
13	**25.2.2026**	Show Cause Notice issued by Commissioner of Police under Section 3(1) of the U.P. Control of Goondas Act, 1970 against Applicant's brother Tittu. True copy of show cause Notice dated 25.2.2026 issued to Applicant's brother Tittu is marked and annexed **ANNEXURE: A-5 (Pg. 24).**

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

Bittu

14	28.3.2026	High Court of Allahabad in Criminal Misc. Writ Petition No. 3392 of 2026 granted ad interim stay from arrest to Applicant and other family members. True copy of order dated 28.3.2026 passed by High Court in Criminal Misc. Writ Petition No. 3392 of 2026 is marked and annexed **ANNEXURE: A-6 (Pg.25 to 26).**

12. In view of the foregoing facts, circumstances and submissions, it is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court be pleased to allow the present Original Application filed by the Applicant.

13. It is stated that the annexures annexed to this Affidavit are true copies of their respective originals.

14. That I have read and understood the contents mentioned in the Affidavit and has been explained to me in Hindi I say that the contents mentioned therein are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed.

I identified the deponent who has signed in my presence

DEPONENT

VERIFICATION:-

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi on this 27th day of April, 2026.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km. Bittu
S/o/W/o/D/o Leelu
New Delhi
...ied by Shri/Smt. Vishal Singh Adv.
has solemnly affirmed before me at Delhi
27 APR 2026 682/26 that the contents of the affidavit which have been read & explained to him/her are true & Correct to his/her knowledge

Delhi

27 APR 2026

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 724 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Bittu ...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 9.4.2026

I Mosin S/o Vakil R/o Village Badarpur, Loni, Ghaziabad (U.P.) -201102, presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under :-

1. I say that I received the Notice from the Office of ADM, Ghaziabad to appear personally before Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on 9.4.2026 in O.A. No. 724 of 2023 in compliance of order dated 19.3.2026 which is as follows:-

> *"19. Vide order dated 18.02.2026, the District Mining Officer, Ghaziabad and the Additional District Magistrate (F&R) Ghaziabad were given one more opportunity to file replies showing cause against passing of appropriate order by this Tribunal as mentioned in order dated 29.01.2026 and they were directed to appear before this Tribunal physically on the next date of hearing fixed."*

2. I say that in compliance of order dated 19.3.2026 deponent appeared before this Hon'ble Court wherein this Hon'ble Court on 9.4.2026 passed the order dated 9.4.2026 which is as follows:-

> *"7. Affidavits may be filed by the applicant and Mr. Mosin within two weeks."*

3. I say that in compliance of order dated 9.4.2026 passed in O.A. No. 724 of 2023 (P.B.) present affidavit is filed.

4. I say that the video clips recorded on 02.01.2026 at10:09 p.m. was recorded by me where in illegal mining is recorded which is being carried out by the Respondent No. 8 with Proclain machine at the river bed of Yamuna. The mining activity was carried out adjacent to river steam by creating a pit by the Respondent No. 8 which was filled with water which Proclain machine was

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

मोस्सीन

digging/ extracting the river sand from the water and river sand was loaded in the Dumpers during night and illegal transportation was going on.

5. That I have read and understood the contents mentioned in the Affidavit and has been explained to me in Hindi I say that the contents mentioned therein are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed.

I Identified the Deponent who has signed in my presence

मोसीन

DEPONENT

VERIFICATION:-

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi on this 27th day of April, 2026.

NOTARY PUBLIC RISHAB JAIN Advocate Delhi Regn. No. 36025 GOVT. OF INDIA

मोसीन

DEPONENT

"TRUE COPY"

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt./Km. Mosin
S/o/W/o/D/o Vakil
R/o New Delhi
Identified by Shri/Smt. Vishal Singh Adv.
solemnly affirmed before me at Delhi
27 APR 2026 No. 681/26 that the contents of the affidavit which have been read & explained to him/her are true & correct to his/her knowledge

Delhi
27 APR 2026

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
P.S. (थाना): ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0488
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/10/2025 22:36

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 11/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 11/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 24/10/2025 **Time (समय):**22:36 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 079 **Date & Time (दिनांक और समय):** 24/10/2025 22:36 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): ग्राम पचायरा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** विपिन तोमर हल्का लेखपाल

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1986

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पचायरा,परगना, तहसील लोनी ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पचायरा,परगना, तहसील लोनी ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9711524307

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	टीटू		पिता का नाम : लीलू	1. ग्राम पचायरा,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
2	बिट्टू		पिता का नाम : लीलू	1. ग्राम पचायरा,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
3	मनोज कुमार		पिता का नाम : राजवीर	1. ग्राम पचायरा,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
4	रामपाली		पति का नाम : लीलू	1. ग्राम पचायरा,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
5	सुनीता		पति का नाम : रवि	1. ग्राम पचायरा,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत
6	कुसुमलता		पति का नाम : महेन्द्र सिह	1. ग्राम पचायरा ,ट्रोनिका सिटी, ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रा0पत्र हिन्दी वादी ... सेवा मं श्रीमान थाना प्रभारी ट्रोनिका सिटी लोनी गा0बाद महौदय सविनय निवेदन यह है कि आज दिनांक 11.10.2025 को श्रीमान जिला खनन अधिकारी तथा क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम नौरसपुर परगना व तहसील लोनी जिला गा0बाद के साथ अवैध बालू खनन जोकि खसरा नं0 98 मि0 रकबा 1.2650 है0 तथा खसरा सं0 99 रकबा 1.2650 है0 पर जाकर मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमे मौके पर जे0सी0बी0 से अवैध बालू खनन का कार्य किया जा रहा था। उक्त स्थल के कार्डिनेट Lat

28.1823 L0ng 77.219127 है जिसकी माप (15x0.5x49) यानि 367.5 घन मी0 तथा (51x17x0.5) यानि 433.5 घन मी0 मापी गयी है। जिसमे अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। राजस्व अभिलेखो का अवलोकन करने के बाद खसरा न0 98 मि0 मे काश्तकार टीटू, बिट्टू पुत्रगण लीलू, मनोज कुमार पुत्र राजवीर तथा रामपाली पत्नी लीलू व सुनीता पत्नी रवि नि0 ग्राम पचायरा तथा खसरा स0 99 मे काश्तकार कुसुमलता पत्नी महेन्द्र सिह नि0 ग्राम दर्ज है। उपरोक्त काश्तकारो के खिलाफ FIR दर्ज कराने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित 24/10/2025 विपिन तोमर (लेखपाल) 9711524307 (विपिन तोमर) हल्का लेखपाल तहसील लोनी वर्तमान पता क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पचायरा परगना व तहसील लोनी, जिला गा0बाद (उ0प्र0) स्थायी पता - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पचायरा परगना व तहसील लोनी, जिला गा0बाद .... नोट मैं का0 240 विकाश यादव प्रमाणित करता हूँ कि प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व चिक मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर है0कां0 2240 मोनू मलिक द्वारा टंकित कराया गया। अलावा तकनीकि त्रुटि के ....

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): PRADEEP SINGH **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 192290773 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA INCHARGE
Rank SI (Sub-Inspector)
No. 9454405104

"TRUE COPY"

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)

P.S. (थाना): ट्रोनिका सिटी **Year (वर्ष):** 2026

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0007

Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 04/01/2026 18:15

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 02/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 2 **Time From (समय से):** 06:30 बजे **Time To (समय तक):** 06:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 04/01/2026 **Time (समय):** 18:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 035 **Date & Time (दिनांक और समय):** 04/01/2026 18:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): ग्राम- पचायरा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** विपिन तोमर लेखपाल ग्राम पचायरा

(b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं॰):**

(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं॰):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	तहसील लोनी जिला गाजियाबाद ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	तहसील लोनी जिला गाजियाबाद ,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9711524307

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	डम्पर नं0- UP14MT4722 का मालिक सिद्दू		पिता का नाम : लीलू	1. पचायरा,ट्रोनिका सिटी,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत
2	3 - 4 लोग अज्ञात			1. अज्ञात,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी.....सेवा में, श्रीमान् थाना प्रभारी ट्रोनिका सिटी लोनी गा0बाद महोदय,दिनांक 02/01/026 को ग्राम पचायरा परगना व तहसील लोनी जिला- गा0बाद में नायब तहसीलदार तथा क्षेत्रीय लेखपाल को सूचना के आधार पर समय लगभग 6.30 वजे Location lat- 28.80718 ,Long- 77.221856 पर रेत का ढेर ,ट्रैक्टर ,ट्राँली तथा डम्पर दिखाई दिये। पूछताछ के बाद पता चला कि ट्रैक्टर ,ट्राँली,डम्पर द्वारा यमुना से अवैध बालू खनन के अवैध रूप से ग्राम- पचायरा उपरोक्त Location पर गिराते थे और यहाँ से डम्पर लाँड करके आगे भेजते थे। उपरोक्त ट्राँली को स्थानीय पुलिस की सहायता से थाना ट्रोनिका सिटी की अभिरक्षा मे दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त डम्पर न0- UP14MT4722 जोकि लाँड होने के लिए खडा था का मालिक सिद्दू पुत्र लीलू नि0- पचायरा डम्पर को ले जाने लगा। तो उसको प्रशासन द्वारा रोकने की कोशिश की गई और बताया गया कि आप डम्पर के कागजात दिखाके ले जा सकते हैं। लेकिन डम्पर मालिक नही माना और डम्पर को जबरजस्ती लेकर भाग गया। तथा 3-4 और अज्ञात लोग तथा डम्पर मालिक को लेकर भाग गये। डम्पर मालिक तथा 3-4 अज्ञात लोगो के खिलाफ उचित कार्यवाही हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित हैं। SD अपठित 04/01/026 विपिन तोमर (लेखपाल) मो0न0- 9711524307 क्षेत्र पचायरा नोट- मैं है0का0 858 बन्टी कुमार गुप्ता

प्रमाणित करता हूँ कि कि प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कायमी व मुकदमा मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोल बोलकर थाना हाजा के कम्प्यूटर पर सीसीटीएनएस पर का0 3730 अनुज चौधरी द्वारा टंकित करायी गयी। अलावा तकनीकि त्रुटि के।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): PRADEEP SINGH **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 192290773 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name THANA INCHARGE

Rank SI (Sub-Inspector)

No. 9454405104

"TRUE COPY"

1355

ANNEXURE: A-4

AKASH CHAUHAN
Advocate
Reg. No.-UP15929/22, COP: 244261
Ch. No.-333, Civil Court
Raj Nagar, Ghaziabad
Mobile No.- 7210654604
akashchauhan0024@gmail.com

प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 07/26
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 21/1/26
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम श्री आकाश चौहान (एड०)
नकल तैयारी का दिनांक 20/1/26
नकल देने का दिनांक 21/1/26
मूल्य 20/- बीस रुपया

तैयार कर्ता राजेश
मिलान कर्ता छायाप्रति

न्यायालय श्रीमान अति० पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट
मुख्यालय गाजियाबाद

वाद सं० 309/2025

सरकार बनाम बिट्टू

U/S 2/3 उ०प्र०
गुण्डा नियन्त्रण
अधिनियम 1970
P/S- ट्रोनिका सिटी
लोनी गाजियाबाद

न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, गाजियाबाद।

(उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970)

राज्य बनाम बिट्टू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

वाद सं0–309/2025

धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970।

चालानी थाना– ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद

निर्णय

प्रस्तुत वाद पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र दिनांक 23.12.2025 के आधार पर इस न्यायालय में दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र के साथ थाना प्रभारी थाना ट्रोनिका सिटी की रिपोर्ट दिनांकित 17.12.2025, के साथ मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद, की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र की छायाप्रतियॉ तथा बीट सूचना रपट नं0 46 दिनांक 04.12.2025 थाना ट्रोनिका सिटी की प्रमाणित प्रति तथा गुण्डा चार्ट संलग्न है। थाना प्रभारी थाना ट्रोनिका सिटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि विपक्षी **बिट्टू पुत्र लीलू** उपरोक्त एक शातिर किस्म का अभियुक्त है। विपक्षी का क्षेत्र की जनता में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि उसके विरूद्ध कोई रिपोर्ट लिखाने एवं साक्ष्य देने का साहस नही जुटा पाता है एवं इसके भय और आतंक के कारण इसका जनपद में स्वछन्द रहना जनहित में नही है। उपरोक्त आख्या सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अग्रसारित की गयी है। विपक्षी का गुण्डा चार्ट पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा अनुमोदित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रपत्रों में विपक्षी का अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :–

1. मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद (आरोप पत्र 01 दिनांक 26.09.2020)
2. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद (आरोप पत्र 01 दिनांक 29.11.2025)
3. बीट सूचना जी0डी0 रपट सं0–46 दिनांक 04.12.2025 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद,

उपरोक्त आख्या के आधार पर वाद पंजीकृत कर विपक्षी **बिट्टू पुत्र लीलू** के विरूद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की 3(1) के अधीन दिनांक 30.12.2025 को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस की तामीला के उपरांत दिनांक 15.01.2026 को आपत्ति मय शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जबाव नोटिस में विपक्षी द्वारा अंकित किया गया कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस कतई गलत निराधार व विधि विरूद्ध है जिस कारण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के विरूद्ध 1. मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, विचाराधीन है। उक्त केस में प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप अभी साबित नही हुए है और ना ही वादी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त व मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रकट किये गये मत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी करार नही दिया जा सकता तब तक उसके विरूद्ध आरोप संदेह से साबित न हो जाये। उक्त केसो में अभी आरोप साबित नही हुए है, के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट लगा देना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि प्रार्थी के साथ घोर अन्याय है। उपरोक्त केस मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी व मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, प्रार्थी के विरूद्ध झूठी दर्ज करायी गयी थी तथा प्रार्थी उक्त मुकदमों में जमानत पर रिहा चला आ रहा है तथा अभी प्रार्थी पर आरोप सिद्ध नही हुआ है जिस कारण भी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही सर्वथा अनुचित है। केवल दो केस में झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने मात्र से प्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट नही लगाया जा सकता यह विधि विरूद्ध है प्रार्थी के मौलिक अधिकारो का हनन है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बिना ठोस सबूत व बिना विधिक प्रकिया अपनाये किसी भी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतन्त्रता (पर्सनल लिबर्टी) से वंचित नही किया जा सकता। प्रार्थी निर्दोष है तथा नोटिस मे उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप झूठे व निराधार है। प्रार्थी सम्मानित परिवार से है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है प्रार्थी के विरूद्ध यह आरोप कि साक्षीगण, जान माल के सम्बन्ध में असुरक्षा के कारण साक्ष्य देने को तैयार नही है सर्वथा झूठ असत्य कथनो पर आधारित है, जबकि प्रार्थी जनता में कोई भय

व्यापक नही है तथा ना ही किसी अपराध में आज तक लिप्त है मात्र उपरोक्त एक मुकदमा झूठे कथनो पर आधारित है जिसमें प्रार्थी जमानत पर चला आ रहा है तथा उक्त एक मात्र वाद जो मान्य न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी हाजिर चला हा रहा है। तथा नोटिस निरस्त कर कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई उभयपक्ष उपस्थित है। सुनवाई के दौरान मैनें विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तर्को को ध्यानपूर्वक सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी गुण्डा नही है बल्कि एक साधारण परिवार का एक सीधा–सादा व्यक्ति है तथा उसकी समाज में अच्छी ख्याति है। आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति में अभिकथन किया गया है कि विपक्षी उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम–1970 की धारा 2 में वर्णित गुण्डा की परिभाषा में नही आता है। विपक्षी के विरूद्ध मु0अ0सं0 358/2020 धारा 379,411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज विकास अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी, जनपद गाजियाबाद, रंजिश के कारण झूठे लिखाये गये है। जिसमें कोई भी स्वतन्त्र जनसाक्षी नही है उक्त मुकदमो में विपक्षी जमानत पर रिहा है, विपक्षी के उक्त वाद में जिला बदर होने के उपरान्त विपक्षी न्यायालय से मुकदमो में दोष मुक्त हो जाने पर उसका अहित होगा। अतः विपक्षी के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया जाये।

अभियोजन द्वारा तर्क रखा गया कि विपक्षी एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समाज के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है। जिसके विरूद्ध नोटिस में अंकित अभियोग पंजीकृत कराये गये है, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। नोटिस में दिये गये मुकदमो के अतिरिक्त विपक्षी का **अन्य मुकदमो का आपराधिक इतिहास** भी है। विपक्षी के विरूद्ध सामान्यतया साक्ष्य देने हेतु कोई उसके भय के कारण हिम्मत नही जुटा पाता है। उपरोक्त मुकदमो से स्पष्ट है कि विपक्षी दबंग किस्म का व्यक्ति है। इसकी सामान्य ख्याति गुण्डा होने की है। विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। विपक्षी का क्षेत्र की जनता में इतना भय और आतंक व्याप्त है कि जिसके विरूद्ध कोई रिपोर्ट लिखाने एवं साक्ष्य देने का साहस नही जुटा पाता है तथा विपक्षी को जनहित एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से निष्कासित किये जाने की याचना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का समग्र परिशीलन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि विपक्षी **बिट्टू पुत्र लीलू** उपरोक्त आपराधिक इतिहास व बीट सूचना की जांच के अनुसार आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध आम जनमानस मुकदमा पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने के लिए तैयार नही होते है विपक्षी गुण्डा है और उसकी क्षेत्र में गुण्डई व दबंगई व्याप्त है। जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समाज के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है। विपक्षी का कृत्य उ0प्र0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 2 में वर्णित परिभाषा के अन्तर्गत आता है। विपक्षी को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा–3 के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से निष्काषित किये जाने के पर्याप्त आधार है। अतः क्षेत्र में शान्ति प्रिय वातावरण बनाये रखने के दृष्टिगत विपक्षी को जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन किया जाना विधि सम्मत् है।

आदेश

अतः मैं आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, गाजियाबाद प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में, उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3 के अन्तर्गत विपक्षी **बिट्टू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा, थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद** को उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश की तामीला तिथि से **छः माह** के लिए जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन का आदेश पारित करता हूँ। यदि उक्त व्यक्ति का किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित जनपद गाजियाबाद के किसी न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है तो उस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु उस व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी, परन्तु उसे न्यायालय की तिथि का साक्ष्य अपने पास रखना होगा, तिथि के पश्चात् क्षेत्र में विचरण करने को धारा 10 की कार्यवाही के लिए उपयुक्त रूप से विचारित किया जा सकेगा।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

16/1

दिनांक :– जनवरी 16, 2026

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त)

पीठासीन अधिकारी/
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद को आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियां इस निर्देश के साथ कि विपक्षी को आदेश की एक प्रति देकर दूसरी प्रति बजात खास तामील कराकर न्यायालय भिजवाना सुनिश्चित करें एवं दिये गये निर्देशों का पालन करें।

"TRUE COPY"

न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, गाजियाबाद।

वाद सं0–21/2026
धारा–2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970
राज्य बनाम– टीटू पुत्र लीलू
थाना– ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

टीटू पुत्र लीलू,
निवासी ग्राम पचायरा, थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अधीन (कारण बताओ नोटिस):–

चूंकि मेरे समक्ष पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि:–

(क) **टीटू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद** उम्र 31 वर्ष एक "गुण्डा" है यह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्यो या सरगना के रूप में भारतीय न्याय संहिता के अध्याय– 06, 11, 17 व 19 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है। **टीटू पुत्र लीलू** की सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति होने की है, और–

(ख) थाना **ट्रोनिका सिटी** क्षेत्र में **टीटू पुत्र लीलू** उपरोक्त की गतिविधियाँ या कार्य जनसामान्य एंव धन के लिए अत्यन्त कष्टकारी तथा अपहानि करने वाली है। ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में भारतीय न्याय संहिता के अध्याय– 06, 11, 17 व 19 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने में लगा है, और –

(ग) साक्षीगण अपने जान माल के सम्बन्ध में असुरक्षा की आशंका के कारण **टीटू पुत्र लीलू** उपर्युक्त खण्ड क, ख, ग के सम्बन्ध में विपक्षी के विरूद्ध सारवान आरोप निम्नलिखित सामान्य प्रकृति के है:–

(1) आप एक शातिर किस्म के अपराधी है।

(2) आपके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर वर्ष 2025 से थाना **ट्रोनिका सिटी** क्षेत्र में खनिज चोरी करने, बलवा करने, मारपीट कर स्वेच्छया से चोट पहुँचाना, गाली–गलौच करना व जान से मारने की धमकी देने जैसे आदि, गम्भीर अपराध कारित किये गये है, जिसके सम्बन्ध में:–

1. मु0अ0सं0 488/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियम) अधि0 1957 थाना **ट्रोनिका सिटी**, जनपद गाजियाबाद,
2. मु0अ0सं0 449/2025 धारा 115(2),191(2),191(3),351(3),352 बीएनएस थाना **ट्रोनिका सिटी**, जनपद गाजियाबाद
3. बीट सूचना जी0डी0 रपट सं0–32 दिनांक 26.1.2026 थाना **ट्रोनिका सिटी**, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत है। जिसमें आपके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के बाद उक्त मामले मा0 न्यायालय में विचाराधीन है एवं साक्षीगण, जानमाल के सम्बन्ध में असुरक्षा की आशंका के कारण साक्ष्य देने को तैयार नही है। अतः आपकी गतिविधियां जनसामान्य के लिये विक्षोभ व संत्रास का कारण है और सार्वजनिक प्रशान्ति को खतरा है।

अतः **टीटू पुत्र लीलू** को एतद् द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि आप मेरे समक्ष **दिनांक 12.03.2026 को समय 12:00 बजे** मेरे पुलिस कार्यालय कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थित न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद, में उपस्थित हो और यदि आप चाहे तो उक्त सारवान आरोपों के सम्बन्ध में यह कारण बतलाते हुये लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि क्यो न आपके विरूद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के अधीन आदेश दिया जाये।

उपर्युक्त **टीटू पुत्र लीलू निवासी ग्राम पचायरा, थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद** को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर्युक्त प्रकार से उपस्थित नही होते है अथवा यदि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण या सूचना प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसे उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नही देना है और प्रस्तावित आदेश पारित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त नोटिस आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव न्यायालय की मुद्रांकित से जारी किया गया।

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद)

दिनांक : फरवरी 25, 2026

पीठासीन अधिकारी/
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः– 1–थाना प्रभारी **ट्रोनिका सिटी**, कमिश्नरेट गाजियाबाद को उक्त नोटिस की दो प्रतियॉं इस आशय से कि व्यक्ति उपरोक्त पर नोटिस तामील कराकर दूसरी प्रति अपनी तामीलशुदा आख्या सहित इस न्यायालय को वापस करें।

"TRUE COPY"

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 3392 of 2026

Tittu And 5 Others

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Chandra Pal Singh
Counsel for Respondent(s)	:	G.A.

Court No. - 47

HON'BLE J.J. MUNIR, J.
HON'BLE TARUN SAXENA, J.

The FIR in this case has been registered against the petitioners for offences punishable under Section 303(2) of B.N.S. and section 4/21 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

The submission of learned counsel for the petitioners is that the case against him, insofar, as it relates to the offences punishable under Section 4/21 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, cannot proceed on the basis of the Police report nor investigated by the Police, for that reason, inasmuch as, under Section 22 of the Act of 1957, cognizance of any offence punishable under the last mentioned Act or any rules made thereunder can be taken only upon a complaint in writing made by a person authorized in this behalf by the Central or the State Government. There is no scope of investigation, sofar as offence under Section 4/21 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 is concerned.

It is argued by the learned counsel for the petitioners that the offence under Section 303(2) of B.N.S. has been foisted *mala fide*, because it was known than the offence principally alleged cannot be the subject matter of investigation.

Pending admission issue notice.

Notice on behalf of respondent nos. 1 and 2 is accepted by Mr. Shashi Shekhar Tiwari, learned AGA.

Steps to serve respondent no. 3 shall be taken by RPAD within three days.

All the respondents are granted two weeks' time to file counter affidavit.

List for **admission** on **13.04.2026** along with a report regarding service and the postal track attached.

The office shall also put in a report regarding status of affidavits.

Until further orders of this Court, the petitioners, to wit, **Tittu, Bittu, Manoj Kumar, Rampali, Sunita** and **Kusumlata**, shall not be arrested in Case Crime No. 0488 of 2025 under Sections 303(2) of the B.N.S. and section 4/21 of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, P.S. Tronica City, District Gramin (Commisionerate Ghaziabad).

Let this order be communicated to the Commissioner of Police, Ghaziaband and the S.H.O., P.S. Tronica City, District Gramin (Commisionerate Ghaziabad), both through the learned Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad by the Registrar (Compliance) by **Monday** i.e. **on 30.03.2026**.

(Tarun Saxena,J.) **(J.J. Munir,J.)**

March 28, 2026
SK Srivastava

"TRUE COPY"

Digitally signed by :-
SAILESH KUMAR SRIVASTAVA
High Court of Judicature at Allahabad

Gmail

vishal singh <advvishalsingh98@gmail.com>

Service of Affidavit in compliance of order dated 9.4.2026 filed by Applicant in O.A. No. 724 of 2023 (P.B.)

1 message

vishal singh <advvishalsingh98@gmail.com> Mon, Apr 27, 2026 at 12:23 PM
To: bhanwar jadon <bhanwar09jadon@gmail.com>, "SINGH_TAVLEEN@YAHOO.COM" <SINGH_TAVLEEN@yahoo.com>, Vallabhi Shukla <vallabhi.9@gmail.com>

Sir,

Pls find attached copy of Affidavit in compliance of order dated 9.4.2026 filed by Applicant in O.A. No. 724 of 2023 (P.B.)

Regards,

Vishal Singh Adv,
Advocate for Applicant
Mob. No. 9990774369

Affidavit of Complicane.pdf
18241K